झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 27 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री सुम्बर ओड़ेया एवं अन्य,
प्र0-अड़की, जिला-खूँटी।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा0, खूँटी।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	<u>वाद सं0–27 / 2023</u> शिकायतकर्ता श्री सुम्बर ओड़ेया एवं अन्य, प्रखण्ड–अड़की, जिला–खूंटी का अपील आवेदन वाट्सएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन–पत्र में शिकायतकर्ताओं द्वारा राशन डीलर, श्री महेन्द्र ओड़ेया के विरूद्ध माह सितम्बर, 2022 से माह दिसम्बर, 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् मिलने वाला राशन नहीं दिये जाने का आरोप लगाया गया है। यह भी कि इस सम्बन्ध में लाभुकों द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूंटी एवं डीलर से पूछने पर सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहा है। किन्तु उनकी शिकायत का निवारण अब तक नहीं हुआ है। प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूंटी को प्रतिवादी बनाते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–30.05.2023 को अपराह्न 12.00 बजे रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx34	